

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं. सं.प्र-8/ज.स.(नि.)हजा.-02/14:-...../राँची, दिनांक:-.....
संशोधित संकल्प

श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बनासो के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय झापांक-5253 दिनांक-28.04.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(2) उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए नियुक्त संचालन पदाधिकारी, श्री शेखर कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव (निगरानी) जल संसाधन विभाग, राँची के दिनांक-31.07.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में उनके स्थान पर श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल-1, राँची को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) संकल्प सं.5253 दिनांक-28.04.14 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह0/-
(डॉ.लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

झापांक:- 3026

/राँची, दिनांक:- 09-09-14

प्रतिलिपि:- अनुबंध की प्रति के साथ श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल-1, राँची/ कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बनासो/ श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, कदवन बाँध प्रमंडल, नगर उटारी (गढ़वा)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3) जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

(डॉ.लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।
8.9.14